कार्यालय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़।

नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "जनपद अलीगढ़ में सेशन्स हाऊस की जीर्णशीर्ण/क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का पुनः निर्माण कार्य" में बाधा बने वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक–2716/22–1 अलीगढ़ दिनांक 14.02.2025 के द्वारा चिन्हित किये गये कुल 36 नग वृक्षों की नीलामी **दिनांक 28.04.2025 को सांय 04:00 बजे** जनपद न्यायालय, अलीगढ़ के केन्द्रीय नजारत अनुभाग में की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति समय से उपस्थित होकर नीलामी की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। नीलामी से सम्बन्धित विवरण एवं शर्तों के सम्बन्ध में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय, अलीगढ़ से जानकारी ली जा सकती है।

उपरोक्त 36 वृक्षों की नीलामी हेतु नियम व शर्तें निम्नवत् हैं :–

1. सभी अनुज्ञापियों को नीलामी से पूर्व केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय, अलीगढ़ में जमानत धनराशि 15,000/– रूपये जमा करनी होगी। नीलामी समाप्ति पर यदि उसके नाम नीलामी नहीं होती है तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
2. क्रेता नियमानुसार आयकर एवं स्टाम्प शुल्क जमा करेंगे।
3. वृक्षों की कटाई आरम्भ करने से पूर्व सफल नीलामी प्राप्तकर्ता को अनुमति पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर समस्त धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही वृक्षों का कटान एवं निकासी की जा सकती है। यदि वह समस्त धनराशि नहीं जमा करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
4. वृक्षों की नीलामी की धनराशि जनपद न्यायालय, अलीगढ़ में तथा कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा नियमानुसार निर्धारित अन्य शुल्क को राजकीय कोष में जमा करने के उपरान्त ही वृक्षों को काटने की अनुमति प्राप्त होगी।
5. सभी वृक्षों की कटाई क्रेता द्वारा की जायेगी।
6. नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात् नीलामी प्राप्तकर्ता को वृक्षों तथा कटी हुई लकड़ी की देखभाल की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।
7. नीलामी प्राप्तकर्ता एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से अंतिम निकास की तिथि तक सरकारी सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा। नुकसान होने पर समस्त उत्तरदायित्व नीलामी प्राप्त कर्ता का होगा।
8. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में नीलामी छोड़ी जायेगी तथा नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ को होगा।
9. माननीय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा बिना किसी कारण बताये उच्चतम बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
10. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रार्थना पत्र के साथ अपना आधार कार्ड पहचान पत्र व स्वप्रमाणित फोटो की प्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा नीलामी के समय मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य है।
11. नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय, अलीगढ़ का होगा।
12. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में वृक्षों की नीलामी का विक्रय रद्द समझा जायेगा।

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
अलीगढ़।

Spl. Judge / Addl. Dist. & Sess. Judge
Aligarh

पत्रांक : / दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सिविल व फौजदारी बार एसोसियेशन के नोटिस बार्ड पर चस्पा करने हेतु।

क्रमशः.....02

3. कार्यालय जिलाधिकारी, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. जनपद न्यायालय, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. बाह्य न्यायालयों एवं ग्राम न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
6. नगर निगम, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
7. भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. जिला पंचायत, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
9. केन्द्रीय बस स्टैण्ड, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, अलीगढ़/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ की उक्त विज्ञप्ति/सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार अपने स्तर पर कराने का कष्ट करें।
11. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति/सूचना को https://aligarh.nic.in की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
12. नोडल ऑफिसर कम्प्यूटर्स को इस अनुरोध के साथ की उक्त विज्ञप्ति/सूचना को जिला न्यायालय, अलीगढ़ की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
अलीगढ़।

Spl. Judge (SC/ST Act) /
Addl. Distt. & Sess. Judge
Aligarh